श्रीमानजी, संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जनआधार कार्ड में प्रार्थी का नाम नाहरसिंह पुत्र धीतर सिंह है जो कि वास्तविक नाम है जबकि वर्तमान जमाबंदी खाता सं. 106 किता - 20 रकबा - 1.39 हे. में नाहरा पुत्र धीतर आसि-रावत दर्ज है जो कि त्रुटिवश गलत है।

अतः प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेजों अनुसार प्रार्थी का नाम नाहरा पुत्र धीतर के स्थान पर नाहरसिंह पुत्र धीतर सिंह दर्ज किया जाना उचित होगा।

भू-अभिलेख निरीक्षक की जाँच रिपोर्ट

श्रीमानजी, मुताबिक मान बोर्डवत् रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का नाम नाहरा पटवारी रिकार्ड में दर्ज है। संलग्न प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार प्रार्थी का नाम नाहर सिंह करना चाहिए है।

तहसीलदार की रिपोर्ट

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी ICR यथाप्रस्तावित

शिविर प्रभारी
तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद

2025
653

366

अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2021 कैम्प

दिनांक : 10/10/21

«आदेश»

आवेदक प्रार्थी ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया है। इस दुरुस्ती का कारण हेतु तहसील निरीक्षित में दी गई पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू-अभिलेख की जाँच रिपोर्ट एवं तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंसा अनुसार राजस्व अभिलेख अधिनियम की धारा 136 के अनुसरण में तहसील - नसीराबाद की जमाबंदी संवत 2025 के खाता सं. 106 में त्रुटि के निम्नलिखित सब में शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

पूर्व इंद्राज				स्वीकृत किया गया नया इंद्राज		
खाता सं.	खातेदार का विवरण	खसरा नं.	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नं.	रकबा
106	नाहरा पुत्र धीतर शेष बदस्तूर	किता 20	1.39	नाहर सिंह पुत्र धीतर सिंह शेष बदस्तूर	किता 20	1.39

क्रमांक :- 5553-54
प्रतिलिपि :- 1. तहसीलदार नसीराबाद
2. आदेश पंजिका

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2026.10.17 11:33:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद